गभाना ख्यामई में उद्योग लगाने को 241 निवेशकों ने मांगी जमीन

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता । गभाना के ख्यामई में विकसित हो रहे नए औद्योगिक क्षेत्र में लॉक-हार्डवेयर के साथ फूड, फैब्रिकेशन, कृषि, पेस्टीसाइड, प्लास्टिक पाइप व मैट्रो का गेट बनाने वाली इकाइयां स्थापित होंगी। ख्यामई में जल्द ही निवेशकों को भूमि का आवंटन होगा। ख्यामई में जमीन के लिए 241 निवेशकों ने इकाई लगाने का प्रस्ताव दिया है। दो दिन की स्क्रूटनी के बाद आवेदन फाइनल कर दिए जाएंगे। 19 व 20 मई में ई-नीलामी के तहत आवंटन संभावित है।

गभाना के ख्यामई में 48 हेक्टेयर में औद्योगिक अस्थान विकसित किया जा रहा है। यहां पर जमीन के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवंटन इस पार जैम पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। जैम पोर्टल पर आवेदकों ने आवेदन भी कर दिया है। 11 मई आवेदन की आखिरी तारीख थी। कुल 241 आवेदन जिला उद्योग केंद्र को प्राप्त हुए हैं। दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा के निवेशक भी शामिल हैं। जिला उद्योग केंद्र की ओर से जारी भूखंडों के वर्ग मीटर के अनुसार उद्यमियों ने आवेदन किया है। 600 वर्ग मीटर से लेकर 23000 वर्गमीटर के प्लाट हैं। आवेदन में 1000, 1500, 2000, 2500, 500 व 800 वर्ग मीटर के लिए आवेदन अधिक हैं।

ख्यामई के औद्योगिक क्षेत्र में निर्माणाधीन भवन। ● हिन्दुस्तान

मुख्यमंत्री से ई-नीलामी प्रक्रिया में बदलाव की मांग

एमएलसी डा. मानवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर ई-नीलामी प्रक्रिया को रोकने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रेटर अलीगढ़ योजना के तहत किसानों से उनकी कृषि भूमि खरीद की प्रक्रिया नियमों के विरुद्ध की गई है। खरीद में शासन को गुमराह कर किसानों के साथ नाइंसाफी की है। जिनके विरोध में लोधा ग्राम अटलपुर में किसान धरनारत भी हैं। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही आपत्तिकारक कार्यवाही पर रोक लगाकर किसानों की समस्याओं की विस्तृत जांच कराकर निराकरण की मांग की।

दो दिन स्क्रूटनी के बाद फाइनल होंगे आवेदन

जिला उद्योग केंद्र ने सभी आवेदन डाउन लोड कर लिए हैं। एक दिन बाद स्क्रूटनी कर आवेदन फाइनल कर दिए जाएंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं लगाने व दस्तावेज अधूरे होने पर आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। निरस्त होने के बाद दोबारा आवेदकों की सूची जारी की जाएगी। जिनका नाम फाइनल होगा वही ई-नीलामी की प्रक्रिया में शामिल होंगे। शासन ने 3300 रुपये भूखंड आवंटन का प्राथमिक रेट तय किया है।

10% राशि जमा कराएं

जिन आवेदकों का नाम फाइनल हो जाएगा। उनको भूखंड की लागत की 10 फीसदी अर्नेस्ट मनी जमा करानी होगी।

चार हजार करोड़ निवेश

ख्यामई में करीब चार हजार करोड़ रुपये का निवेश आया है। यह निवेश कम व ज्यादा भी हो सकता है। अभी एक दिन और स्क्रूटनी का काम चलेगा। इसमें कुछ आवेदन निरस्त भी होंगे।

"ख्यामई में 241 निवेशकों ने जमीन लेने के लिए आवेदन किया है। आवेदन की स्क्रूटनी चल रही है। इसके बाद फाइनल संख्या जारी की जाएगी। जिनके नाम फाइनल होंगे वह 10 फीसदी धनराशि जमा कराकर ई-नीलामी प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। शासन से तय नियमों के तहत आवेदन मांगे गए हैं। 19 व 20 मई को ई-नीलामी प्रक्रिया संभावित है।

बीरेंद्र कुमार, संयुक्त आयुक्त उद्योग